फोनः 0291 -5153702
0291 -5153704

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांकः- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(BOM)/(01)/V/06-07/ 12741-12756   दिनाँकः 4-1-25

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. श्री पब्बाराम विश्नोई, मा. विधायक, फलौदी (जोधपुर)
3. श्री अतुल भंसाली, मा. विधायक, जोधपुर (जोधपुर)
4. शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. वैद्य कमलेश कुमार शर्मा, प्रो-वाईस चांसलर, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
6. डॉ. ए रघु, उपनिदेशक जनरल (आयुष), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कमरा नं.- 503-डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001
7. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय एवं प्राचार्य, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
8. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
9. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
10. श्री दिनेश कुमार बारहठ (प्रतिनिधि, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर)
11. डॉ. आनन्द शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
12. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
13. प्रो. महेश दीक्षित, प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
14. डॉ. चन्दन सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर द्रव्यगुण विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
15. डॉ. राकेश कुमार शर्मा, एसो.प्रोफेसर, रचना शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
16. कुलसचिव (कार्यवाहक) एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषय :- डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का 30वां उपवेशन दिनाँक 19.12.2024 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का **30**वां उपवेशन, जो दिनाँक **19** दिसम्बर **2024** को दोपहर **12.30** बजे व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को समिति द्वारा अनुमोदिन कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 2 से 11 तक।

भवदीय

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation: Comptroller Finance
Date: 2025.01.04 1?:53:25 IST
Reason: Approved

कुलसचिव

RajKaj Ref No.: 12810650

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रबन्ध बोर्ड का 30वां उपवेशन

19 दिसम्बर 2024

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.12.26 1[illegible]:12:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12665039

फोन: 0291 -2795302
0291 -2795304

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांकः- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(BOM)/(01)/V/06-07/ दिनाँकः

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड का **30**वां उपवेशन, जो दिनाँक **19** दिसम्बर **2024** को दोपहर **12.30** बजे विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. वैद्य कमलेश कुमार शर्मा, प्रो-वाईस चांसलर, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
3. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय एवं प्राचार्य, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
4. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज, जयपुर
5. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
6. डॉ. चन्दन सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर द्रव्यगुण विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
7. कुलसचिव (कार्यवाहक) एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए :-

1. श्री पब्बाराम विश्नोई, मा. विधायक, फलौदी (जोधपुर)
2. श्री अतुल भंसाली, मा. विधायक, जोधपुर (जोधपुर)
3. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
4. डॉ. आनन्द शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
5. प्रो. महेश दीक्षित, प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
6. डॉ. ए रघु, उपनिदेशक जनरल (आयुष), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कमरा नं.- 503-डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001
7. डॉ. राकेश कुमार शर्मा, एसो.प्रोफेसर, रचना शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नही हो सके :-

1. शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्री दिनेश कुमार बारहठ (प्रतिनिधि, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर)

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation: Comptroller Finance
Date: 2024.12.26 1?:12:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12665039

दिनाँक **19** दिसम्बर **2024** को प्रबन्ध बोर्ड के **30**वें उपवेशन में उपस्थित सदस्य महानुभावों का सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय एवं कुलसचिव द्वारा स्वागतोपरान्त एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
1.	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनाँक 06.07.2024 के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
2.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 25.10.2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
3.	बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालय, जोधपुर में सत्र 2021-22 से शिक्षण शुल्क 36,000/- वार्षिक किये जाने एवं सत्र 2023-24 से सभी अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का शिक्षण शुल्क भी 36,000/- किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
4.	विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2002 की धारा-12-(2)(ट)- सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सहयोजित एक प्राचार्य; के प्रावधानानुसार प्रबन्ध मण्डल हेतु एक सदस्य के सहयोजन पर विचार।	विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2002 की धारा-12-(2)(ट)- सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सहयोजित एक प्राचार्य; के प्रावधानानुसार प्रबन्ध मण्डल हेतु **प्रो. वासुदेव पारीक**, पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
5.	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-20-(1)(घ) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की वित्त एवं लेखा समिति में प्रबन्ध बोर्ड से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए एक सदस्य के मनोनयन पर विचार।	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-20-(1)(घ) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की वित्त एवं लेखा समिति में प्रबन्ध बोर्ड से **प्रो. चन्दन सिंह**, विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर द्रव्यगुण विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
6.	वित्त एवं लेखा समिति बैठक दिनांक 06.03.2024 एवं 23.10.2024 को एजेण्डावार लिये गये निर्णय पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.12.26 18:12:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12665039

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
7.	पाठ्यक्रमों के संचालन/नियामक संस्था के मानकों की पूर्ति हेतु यू.टी.बी./अस्थायी/समेकित वेतन के माध्यम से अस्थायी रूप से शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बंध में जारी आदेशों की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
8.	विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में अस्थायी/यू टी बी/समेकित वेतन पर कार्यरत शिक्षकों/आर एम ओ का शैक्षणिक सत्र संचालन हेतु समयावधि वृद्धि करने बाबत जारी आदेशों की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
9.	राजस्थान सेवा नियमों के तहत निलम्बित कार्मिक डॉ. राजबीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, शालाक्य तंत्र विभाग को सेवा में बहाल करने के सम्बंध में।	राजस्थान सेवा नियमों के तहत निलम्बित कार्मिक डॉ. राजबीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, शालाक्य तंत्र विभाग को भविष्य में किसी भी प्रकार की पूर्व में किये गए गलती की पुनरावत्ति नहीं होने की शर्त पर सशर्त सेवा में बहाल करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
10.	डॉ. राजेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर, शरीर क्रिया विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर की प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के सम्बंध में।	डॉ. राजेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर, शरीर क्रिया विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर की प्रोफेसर पद पर सशर्त-पदोन्नति करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
11.	श्री खेताराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सेवा से बिना अनुमति 01 वर्ष से अधिक समयावधि तक अनुपस्थिति तथा पुनः ज्वाईनिंग करने के सम्बंध में।	श्री खेताराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भविष्य में बिना सूचना के अनुपस्थित नहीं रहने की शर्त पर छुट्टियों का समायोजन करने का निर्णय का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
12.	विश्वविद्यालय संशोधित सेवा नियम 2023 में वर्णित सीधी भर्ती के प्रावधान अन्तर्गत पात्रता रखने वाले एसो प्रोफेसर को कार्यव्यवस्तार्थ प्रोफेसर एक वर्ष हेतु नियुक्त करने बाबत।	विश्वविद्यालय संशोधित सेवा नियम 2023 में वर्णित सीधी भर्ती के प्रावधान अन्तर्गत पात्रता रखने वाले एसो प्रोफेसर को एक वर्ष हेतु अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिये कार्यव्यवस्तार्थ प्रोफेसर नियुक्त करने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.12.26 1?:12:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12665039

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
13.	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के अस्थायी/यूटीबी/ समेकित वेतन पर कार्यरत महिला शैक्षणिक अधिकारियों को मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के सम्बंध में विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के अस्थायी/यूटीबी/ समेकित वेतन पर कार्यरत महिला शैक्षणिक अधिकारियों को तीन माह का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के सम्बंध में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
14.	डॉ. राकेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा डी ए सी पी स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु नियम सेवानियमों में सम्मिलित करवाने बाबत।	विद्या परिषद् एवं प्रबन्ध बोर्ड से अनुमोदित डी.ए.सी.पी. /सी.ए.एस. से सम्बन्धित सेवानियम में सी.ए.एस. की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
15.	डॉ. राकेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा राज्य सरकार में कृत पूर्व सेवा को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन स्वीकृत कराने एवं वैद्य मनोज कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त, प्रोफेसर द्वारा पुरानी पेंशन प्रदान करने के आवेदन पर विचार-विमर्श।	1. डॉ. राकेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय की वित्त एवं लेखा समिति से पात्रता की नियमानुसार जांच करवाकर कार्यवाही करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 2. वैद्य मनोज कुमार शर्मा के सन्दर्भ में पुरानी पेंशन लागू करने हेतु राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए पत्र लिखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
16.	श्री अनिल कुमार, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार-विमश।	विश्वविद्यालय की वित्त एवं लेखा समिति से सम्बन्धित प्रकरण की जांच करवाकर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाकर दिए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
17.	डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के मध्य निम्नलिखित संस्थाओं ने एम. ओ.यू. किया गया जिस पर विचार-विमर्श व अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
18.	बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) बैच-2023 में प्रवेशित छात्रों के पाठ्यक्रम में समयावधि, प्रयास व क्रमोन्नत के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं होने पर विचार-विमर्श।	बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) बैच-2023 में प्रवेशित छात्रों के पाठ्यक्रम में समयावधि, प्रयास व क्रमोन्नत के सम्बन्ध में एन.सी.आई.एस.एम., नई दिल्ली की अधिसूचना- 16 फरवरी 2022 में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम के नियमानुसार एवं समय-समय पर आयोग द्वारा पाठ्यक्रम में किए जाने वाले संशोधन को बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) में भी स्वतः ही लागू किया जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.12.26 18:12:10 IST
Reason: Approved

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>चर्चा बिन्दु विवरण</th><th>प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय</th></tr>
<tr><td>19.</td><td>अशैक्षणिक संवर्ग हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार ही विभागीय पदोन्नति समिति विश्वविद्यालय में गठित करने बाबत।</td><td>राज्य सरकार के नियमानुसार ही गठित विभागीय पदोन्नति समिति विश्वविद्यालय में लागू किए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। गठित कमेटी निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th>Sr No.</th><th>Constitution of Committee</th><th>Chairman/Member</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Appointing Authority Concerned (Registrar)</td><td>Chairman (Registrar)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Two Senior Deputhy head of Department Concened or next Senior Most officers concerned of the Department, where Deputy Head of Department Not Exist.</td><td>Members (Deputy Registrar, Exam Comptroller/Assistant Registrar/Admin Officer Establishment Officer)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एन.आई.एन.), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, पुणे द्वारा द्वारा निसर्ग ग्राम, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु पत्र पर विचार-विमर्श।</td><td>आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अनुमति दिए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td colspan="2">अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।</td></tr>
<tr><td></td><td>1. विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा से संबंधित प्रकरणों पर विचार-विमर्श।
i. सूचना का अधिकार-2005 के तहत छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा की उत्तर-पुस्तिका दिए जाने के लिए वर्तमान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की हुई है, जबकि विश्वविद्यालय के</td><td>i. सूचना का अधिकार-2005 के तहत उत्तरपुस्तिका दिखाने एवं फोटो कॉपी लेने के लिए निर्धारित शुल्क (विद्या परिषद् उपवेशन दिनांक 25.10.2024 के निर्णयानुसार) सहित आवेदन किया जा सकता है। उत्तरपुस्तिका परीक्षा परिणाम जारी होने के 15 दिवस</td></tr>
</table>

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.12.26 18:12:10 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	ऑर्डिनेंस जोधपुर, मई 14, 2010 के बिन्दू संख्या व्25 के उपबिन्दू (4) में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन परिणाम के पश्चात् नष्ट (Destroyed/Disposed) करने का प्रावधान है। एतदर्थ, छात्रों को उत्तर-पुस्तिका दिए जाने हेतु विश्वविद्यालय का विद्या-परिषद् का उपवेशन दिनांक 25.10.2024 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि छात्र द्वारा संबंधित कक्षा के परीक्षा परिणाम एवं पुनर्मूल्यांकन परिणाम के 15 दिवस तक सूचना का अधिकार-2005 के तहत उत्तर-पुस्तिका दिखाने एवं फोटो कॉपी लेने के लिए निर्धारित शुल्क सहित आवेदन किया जा सकता है, इसके उपरांत किसी भी परिस्थिति में उत्तर-पुस्तिका की छायांप्रति सूचना के अधिकार-2005 के तहत उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। विद्या-परिषद् में हुए निर्णयानुसार एक वर्ष के पूर्व की उत्तर-पुस्तिका की छायांप्रति नहीं दी जाएगी। विद्या-परिषद् में हुए निर्णय में आंशिक संशोधन हेतु परीक्षा-शाखा से प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के 15 दिवस अथवा पुनर्मूल्यांकन के 07 दिवस के अंतर्गत ही संबंधित सत्र की उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा सकेगी एवं उत्तर पुस्तिका की छायांप्रति प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर ही आपत्ति विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसके उपरांत कोई भी आपत्ति दर्ज/मान्य नहीं होगी। साथ ही, आपत्ति अंक गणना में त्रुटि एवं किसी प्रश्न	एवं पुर्नमूल्यांकन के 07 दिवस के अन्तर्गत ही सम्बन्धित सत्र की उत्तरपुस्तिका प्राप्ति हेतु आवेदन करने पर उपलब्ध करवाई जा सकेगी एवं उत्तरपुस्तिका की छायांप्रति प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्दर ही आपत्ति (अंक गणना में त्रुटि एवं किसी प्रश्न के मूल्यांकन नहीं होने की स्थिति में मान्य होगी) विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.12.26 1?:12:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12665039

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	के मूल्यांकन नहीं होने की स्थिति में ही मान्य होगी। उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल उपवेशन में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। ii. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के बिन्दू संख्या 09 के उपबिन्दू (C) के अनुसार किसी भी छात्र जो कि मूल परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण किए जा चुके है, यदि दूसरे परीक्षक (पुनर्मूल्यांकनकर्ता) का पुरस्कार पहले परीक्षक से कम है और कमी 05 प्रतिशत से अधिक है लेकिन पेपर के लिए निर्धारित अधिकतम अंकों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो दोनों पुरस्कारों का औसत अंकों को पुनर्मूल्यांकन के रूप में लिया जाएगा। बशर्ते कि अभ्यर्थी के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे, उसका डिवीजन न बदले या उसे उत्तीर्ण होने के बजाय पूरक न मिल जाए या वह किसी व्यक्तिगत पेपर/विषय में अनुत्तीर्ण न हो जाए। साथ ही उत्तीर्ण छात्र के मामलों में अंक उस सीमा तक कम कर दिए जाएंगे, जिससे कि उसके परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। (in case the award of the second examiner (Re-evaluator) is less than that of the first examiner and the decrease is more than 5% but not more than 20% of the maximum marks prescribed for the paper, the average of the two awards shall be taken as the marks re-evaluation	 ii. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के बिन्दू संख्या 09 के उपबिन्दू (C) की पालना के क्रम में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.12.26 18:12:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12665039

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	provided the result of the candidate is not affected adverserly his division is not changed or he/she does not get supplementary instead of pass or he/she does not fail in an individual paper/subject instead of pass. In such cases the marks shall be decreased to the extent that his/her result is not affected adversely)	
2.	विश्वविद्यालय में डी.ए.एन.एण्ड पी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय में डी.ए.एन.एण्ड पी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। (क्योंकि विश्वविद्यालय में पूर्व में डी.ए.एन. एण्ड पी. पाठ्यक्रम संचालित था जिसे पुनः प्रारम्भ किया जाना है।)
3.	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में यू.टी.बी. अस्थायी/समेकित आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा समयावधि में की गई वृद्धि के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में यू.टी.बी. अस्थायी/समेकित आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा समयावधि में संलग्न तालिका के अनुसार सेवा समयावधि वृद्धि की गई जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4.	पीएच.डी. नियमित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में प्रारम्भ किए जाने हेतु विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में प्रत्येक विभाग में पीएच.डी. नियमित पाठ्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किए जाने हेतु प्रत्येक विभाग में दो-दो पीएच.डी. सीट स्वीकृत किए जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। पीएच.डी. पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले शोधार्थियों को स्टाईपेण्ड (प्रत्येक विभाग में एक-एक सीट) की राशि विश्वविद्यालय के स्तर पर एक वर्ष तक दिए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया एवं साथ ही यह भी

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.12.26 18:12:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12665039

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
		निर्णय लिया गया कि एक वर्ष के पश्चात् पाठ्यक्रम को नियमित करने के लिए स्टाईपेण्ड की राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भिजवाए जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही प्रत्येक विभाग में नोन-स्टाईपेण्ड्री/सेल्फ-फाईनेन्सड की दो-दो सीट स्वीकृत किए जाने का भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
	5. अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार औषध मानकम 2024 में व्यय किए गए रुपये 45 लाख विश्वविद्यालय स्तर पर स्वीकृत किए जाने हेतु विचार-विमर्श।	अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार औषध मानकम 2024 में लगभग 45 लाख रुपये व्यय किए गए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से आर्थिक सहायता के लिए पत्र लिखा जाए तथा शेष राशि का व्यय विश्वविद्यालय स्तर पर वहन किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त न होने पर विश्वविद्यालय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार औषध मानकम 2024 में किए गए व्यय को स्वीकृत किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

उक्त कार्यवाही विवरण प्रबन्ध बोर्ड के माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया **(पृष्ठ संख्या 02 से 11 तक)**।

सदस्य सचिव

Signature valid
Digitally signed by Mangala Ram
Designation : Comptroller Finance
Date: 2024.12.26 1?:12:10 IST
Reason: Approved